झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग
–: अधिसूचना :–

रॉची, दिनांक :–

अधिसूचना सं॰–04/स्था0 01–07/2015 ज0स0(पार्ट) ...../राज्य कर्मियों को सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना का लाभ प्रदान करने संबंधी योजना–सह–वित्त विभाग, झारखण्ड के संकल्प संख्या–03/एम॰ 06/प्रो॰–02/2002–5207/वि॰ दिनांक 14.08.2002 में निहित प्रावधानों के आलोक में दिनांक 23.12.2019 को सम्पन्न विभागीय स्क्रीनिंग समिति की बैठक में किये गये अनुशंसा के क्रम में जल संसाधन विभाग झारखण्ड के अन्तर्गत शोध सहायक संवर्ग के कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों को सम्वर्ग में प्रथम योगदान से लगातार 12/24 वर्षों की नियमित सेवा पूर्ण कर लिये जाने के फलस्वरूप सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना अंतर्गत क्रमशः प्रथम एवं द्वितीय सुनिश्चित वित्तीय उन्नयन का लाभ स्तम्भ–04 एवं 05 में अंकित तिथि एवं वेतनमान में दिया जाता है।

राज्य कर्मियों को संशोधित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना का लाभ प्रदान करने संबंधी योजना–सह–वित्त विभाग, झारखण्ड के संकल्प संख्या–06/एस॰–06/प्रो॰–03/2009–2981/वि॰ दिनांक 01.09.2009 में निहित प्रावधानों के आलोक में उक्त समिति की दिनांक 23.12.2019 को सम्पन्न बैठक में किये गये अनुशंसा के क्रम में निम्न तालिका में अंकित पदाधिकारियों को सम्वर्ग में प्रथम योगदान की तिथि से लगातार 10/20/30 वर्ष सेवा पूर्ण कर लिये जाने के उपरांत संशोधित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना अंतर्गत क्रमशः प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय संशोधित सुनिश्चित वित्तीय उन्नयन का लाभ स्तम्भ–06, 07 एवं 08 में अंकित तिथि एवं वेतनमान में दिया जाता है।

क्षेत्र सहायक से प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति को गैरसवंर्गीय प्रोन्नति मानते हुए कनीय शोध सहायक (परिवर्तित पदनाम शोध सहायक) को ए॰सी॰पी॰/एम॰ए॰सी॰पी॰ का लाभ योजना–सह–वित्त विभाग द्वारा दिये गये मंतव्य के आलोक में कनीय शोध सहायक के पद पर नियुक्ति/योगदान की तिथि से 12 वर्ष/24 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर प्रथम ए॰सी॰पी॰/द्वितीय ए॰सी॰पी॰ का लाभ एवं 30 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर तृतीय एम॰ए॰सी॰पी॰ का लाभ देने निर्णय लिया गया है।

क्र॰ सं॰	नाम/पदनाम/ कार्यालय का नाम / जन्म तिथि/ से॰नि॰तिथि	सेवा में नियुक्ति की तिथि/ पदनाम/वेतनमान	सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना		संशोधित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना			अभ्युक्ति
			प्रथम ए॰सी॰पी॰ योजना के तहत लाभ प्रदान करने हेतु प्रस्तावित तिथि (वेतनमान सहित)	द्वितीय ए॰सी॰पी॰ योजना के तहत लाभ प्रदान करने हेतु प्रस्तावित तिथि (वेतनमान सहित)	प्रथम एम॰ए॰सी॰पी॰ योजना के तहत लाभ प्रदान करने हेतु प्रस्तावित तिथि (वेतनमान सहित)	द्वितीय एम॰ए॰सी॰पी॰ योजना के तहत लाभ प्रदान करने हेतु प्रस्तावित तिथि (वेतनमान सहित)	तृतीय एम॰ए॰सी॰पी॰ योजना के तहत लाभ प्रदान करने हेतु प्रस्तावित तिथि (वेतनमान सहित)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
1.	श्री प्रमोद कुमार चौबे, शोध सहायक, गुण नियंत्रण प्रमण्डल, जमशेदपुर 01.01.1956 31.12.2015	23.10.87 कनीय शोध सहायक /वेतनमान 785–1210 1.1.96 को समकक्ष वेतनमान 5000–8000	–	–	–	01.09.08 (वेतनमान 9300–34800 ग्रेड पे 4800	–	वित्त विभाग के पत्रांक–1117 दिनांक–03.6.11 के आलोक में 23.10.99 को प्रदत्त प्रथम ए0सी0पी0 वेतनमान 5500–175–9000 समकक्ष पुनरीक्षित वेतनमान 9300–34800 ग्रेड वेतन 4200 को दिनांक 01.09.08 को वेतनमान 9300–34800 ग्रेड वेतन 4600 मानते हुए दिनांक 1.9.2008 को प्रदत्त द्वितीय एम0 ए0सी0पी0 वेतनमान 9300–34800 ग्रेड वेतन 4600 को वेतनमान 9300–34800 ग्रेड वेतन 4800/– में संशोधित करने हेतु अनुशंसा के आलोक में।
2.	श्री श्याम नारायण राय, शोध सहायक, गुण नियंत्रण प्रमण्डल, धुर्वा रॉची 01.01.1949 31.12.2008	16.01.81 बुनियादी स्वास्थ्य कार्यकर्ता 27.10.87 कनीय शोध सहायक 785–1210 गैर संवर्गीय नियुक्ति 01.01.96 को समकक्ष वेतनमान 5000–8000	27.10.99 (वेतनमान् 5500–9000)	–	–	01.09.08 (वेतनमान 9300–34800 ग्रेड पे 4800	–	1. प्रथम ए0सी0पी0 वेतनमान् 5500–9000 देय तिथि 27.10.99 2. वित्त विभाग के पत्रांक–1117 दिनांक–03.6.11 के आलोक में 27.10.99 को प्रदत्त प्रथम ए0सी0पी0 वेतनमान 5500–175–9000 समकक्ष पुनरीक्षित वेतनमान 9300–34800 ग्रेड वेतन 4200 को दिनांक 01.09.08 को वेतनमान 9300–34800 ग्रेड वेतन 4600 मानते हुए दिनांक–1.9.2008 को द्वितीय एम0 ए0सी0पी0 वेतनमान 9300–34800 ग्रेड वेतन 4800/– में अनुशंसा के आलोक में।

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	श्री हरेन्द्र तिवारी, शोध सहायक गुण नियंत्रण प्रमण्डल, जमशेदपुर 20.07.48 31.07.08	28.09.70 पर्यवेक्षक श्रेणी– 3/ 150–200 (WC)17.06.82 कनीय शोध सहायक 785–1210 गैर संवर्गीय नियुक्ति 01.01.96 को समकक्ष वेतनमान 5000–8000	–	17.06.2006 (वेतनमान 6500–10500)	–	–	–	द्वितीय ए0सी0पी0 लाभ वेतनमान 6500–10500 देय तिथि 17.06.2006 में अनुशंसा के आलोक में।
4.	श्री अरूण चन्द्र सिन्हा, शोध सहायक गुण नियंत्रण प्रमण्डल, जमशेदपुर 03.01.1949 31.01.2009	16.12.74 रेत विश्लेषक (WC) शोध सहायक (29.01.86) को समकक्ष वेतनमान 5000–8000	–	–	–	–	01.09.08 (वेतनमान 9300 – 34800 ग्रेड वेतन 5400)	वित्त विभाग के पत्रांक–1117 दिनांक–03.6.11 के आलोक में दिनांक–9.08.99को प्रदत्त द्वितीय ए0सी0पी0 वेतनमान 6500–10500 समकक्ष पुनरीक्षित वेतनमान 9300–34800 ग्रेड वेतन 4200 को दिनांक– 01.09.2008 को वेतनमान 9300–34800 ग्रेड वेतन 4800 मानते हुए दिनांक–1.9.2008 को प्रदत्त तृतीय एम0 ए0सी0पी0 वेतनमान 9300–34800 ग्रेड वेतन 4600 को वेतनमान 9300–34800 ग्रेड वेतन 5400/ में संशोधित करने की अनुशंसा के आलोक में।
5.	श्री मृणाल कांन्ति डे, (से॰नि॰ शोध सहायक गुण नियंत्रण प्रमण्डल, राँची 30.07.47 31.07.07	27.12.66 क्षेत्र सहायक/ 105–155 /कनीय शोध सहायक के पद पर प्रोन्नति द्वारा नियुक्त (01.04.81) वेतनमान 335–495/– 01.01.86 को समकक्ष वेतनमान 1600–2780/– 01.01.1996 को समकक्ष वेतनमान 5000–8000/–	–	–	–	31.01.2005 (वेतनमान् 6500–10500)	–	पूर्व में स्वीकृत द्वितीय ए0सी0पी0 वेतनमान् 6500–10500 कि स्वीकृति की तिथि 09.08.99 को संशोधित करते हुए दिनांक–31.01.2005 करने की अनुशंसा के आलोक में।
6.	श्री शिवचन्द्र शर्मा, (से॰नि॰ शोध सहायक गुण नियंत्रण प्रमण्डल, राँची 01.07.1948 30.06.2000	02.11..65 लेब सहायक कार्यभारित 105–155/ 01.02.85 कनीय शोध सहायक 785–1210/ 01.01.96 को समकक्ष वेतनमान 5000–8000	09.08.99 (वेतनमान् 5500–9000)	–	–	–	–	1 प्रथम ए0सी0पी0 लाभ वेतनमान् 5500–9000/देय तिथि 09.08.99 की अनुशंसा। 2. द्वितीय ए0सी0पी0 की देय तिथि 01.09.08 के पूर्व 30.06.2000 को सेवानिवृत होने के कारण देय नहीं की अनुशंसा के आलोक में।
7.	श्री सुशील कुमार पाण्डेय से॰नि॰ शोध सहायक गुण नियंत्रण प्रमण्डल जमशेदपुर 20.01.58 31.01.18	10.11.087 कनीय शोध सहायक 785–1210/– 01.01.96 को समकक्ष वेतनमान 5000–8000	10.11.99 (वेतनमान् 5500–9000)	–	–	01.09.08 (वेतनमान 9300–34800 ग्रेड वेतन 4800)	10.11.17 वेतनमान् 9300 –34800 ग्रेड वेतन 5400	1. प्रथम ए0सी0पी0 वेतनमान् 5500–9000 देय तिथि 10.11.99 2 वित्त विभाग के पत्रांक –1117 दिनांक–03.6.11 के आलोक में 10. 11.99 को प्रदत्त प्रथम ए0सी0पी0 वेतनमान 5500–175–9000 समकक्ष पुनरीक्षित वेतनमान 9300–34800 ग्रेड वेतन 4200 को दिनांक 01.9. 2008 वेतनमान 9300–34800 ग्रेड वेतन 4600 मानते हुए द्वितीय एम0 ए0सी0पी0 वेतनमान 9300–34800 ग्रेड वेतन 4800/– देय तिथि 1.9. 2008 3.तृतीय एम0ए0सी0पी0 वेतनमान् 9300 –34800 ग्रेड वेतन 5400 देय तिथि 10.11.17 में अनुशंसा के आलोक में।

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.	मे॰ समीर अजमल से॰नि॰ शोध सहायक गुण नियंत्रण प्रमण्डल, जमशेदपुर 25.12.57 31.12.17	02.11.87 कनीय शोध सहायक 785–1210	02.11..99 (वेतनमान् 5500–9000)	–	–	01.09.2008 (वेतनमान 9300–34800 ग्रेड वेतन 4800)	02.11.17 वेतनमान् 9300 –34800 ग्रेड वेतन 5400	1. प्रथम ए0सी0पी0 वेतनमान् 5500–9000 देय तिथि 02.11.99 2 वित्त विभाग के पत्रांक –1117 दिनांक–03.6.11 के आलोक में 02.11.99 को प्रदत्त प्रथम ए0सी0पी0 वेतनमान 5500–175–9000 समकक्ष पुनरीक्षित वेतनमान 9300–34800 ग्रेड वेतन 4200 को दिनांक 01.9.2008 को वेतनमान 9300–34800 ग्रेड वेतन 4600 मानते हुए द्वितीय एम0 ए0सी0पी0 वेतनमान 9300–34800 ग्रेड वेतन 4800/ देय तिथि 1.9.2008 3.तृतीय एम0ए0सी0पी0 वेतनमान् 9300 –34800 ग्रेड वेतन 5400 देय तिथि 02.11.17 में अनुशंसा के आलोक में।
9.	श्री नन्द किशोर झा, (से॰नि॰) शोध सहायक गुण नियंत्रण प्रमण्डल, जमशेदपुर 29.07.57 31.07.17	03.11.87 कनीय शोध सहायक 785–1210	03.11.99 (वेतनमान् 5500–9000)	–	–	01.09.08 (वेतनमान 9300–34800 ग्रेड वेतन 4800)	–	1. प्रथम ए0सी0पी0 वेतनमान् 5500–9000 देय तिथि 03.11.99 मे अनुसंशित। 2 वित्त विभाग के पत्रांक –1117 दिनांक–03.6.11 के आलोक में 03.11.99 को प्रदत्त प्रथम ए0सी0पी0 वेतनमान 5500–175–9000 समकक्ष पुनरीक्षित वेतनमान 9300–34800 ग्रेड वेतन 4200 को दिनांक 01.9.2008 को वेतनमान 9300–34800 ग्रेड वेतन 4600 मानते हुए द्वितीय एम0 ए0सी0पी0 वेतनमान 9300–34800 ग्रेड वेतन 4800/ देय तिथि 1.9.2008 में अनुशंसित। 3 तृतीय एम0ए0सी0पी0 की देय तिथि 03.11.17 के पूर्व दिनांक 31.07.17 को सेवानिवृत होने के कारण देय नही की अनुशंसा के आलोक में।
10.	श्री पुर्णमासी सिंह, (से॰नि॰) शोध सहायक रूपांकण प्रमण्डल, –2, मेदिनीनगर, पलामू 02.01.45 31.01.03	1. 10.06.64 गैगरिडर (टैम्पोरेरी 85–110 2. 08.10.66 हिल्ट एनालिस्ट 100–150 (कार्यभरित) 3. 14.05.81 से शिल्ट एनालिस्ट 335–555 नियमित स्थापना में सामंजन किया बाद में नाम परिवर्तित कर शोध सहायक किया गया	09.08..99 (वेतनमान् 5500–9000)	09.08.99 (वेतनमान–6 500–10500)	–	–	–	1. प्रथम ए0सी0पी0 5500–9000 देय तिथि 09.08.99 2. द्वितीय ACP वेतनमान–6500–10500 देय तिथि 09.08.99 में अनुशंसा के आलोक में।
11.	श्री प्रेम मोहन चंद्रा (से॰नि॰) शोध सहायक रूपांकण प्रमण्डल सं 01 डालटेनगंज 01.01.43 31.12.2000	08.04.67 मिटटी विश्लेषक 160–400 शोध सहायक (12.05.76) 01.01. 96 को समकक्ष वेतनमान 5000–8000		09.08..99 (वेतनमान् 5500– 9000)	–	–	–	1.द्वितीय ए0सी0पी0लाभ वेतनमान 5500–9000 देय तिथि 09.08.99 में अनुशंसा के आलोक में।

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12.	श्री विश्वनाथ (से.नि) शोध सहायक गुण नियंत्रण प्रमण्डल, मेदिनीनगर 01.06.1952 31.05.2012	13.11.87 कनीय शोध सहायक 785–1210 / 01.01.96 को समकक्ष वेतनमान 5000–8000	13.11..99 (वेतनमान् 5500–9000)	–	–	01.09.08 (वेतनमान 9300–34800 ग्रेड वेतन 4800)	–	1. प्रथम ए0सी0पी0 वेतनमान् 5500–9000 देय तिथि 13.11.99 में अनुशंसित। 2 वित्त विभाग के पत्रांक –1117 दिनांक–03.6.11 के आलोक में 13.11.99 को प्रदत्त प्रथम ए0सी0पी0 वेतनमान 5500–175–9000 समकक्ष पुनरीक्षित वेतनमान 9300–34800 ग्रेड वेतन 4200 को दिनांक 01.9.2008 को वेतनमान 9300–34800 ग्रेड वेतन 4600 मानते हुए द्वितीय एम0 ए0सी0पी0 वेतनमान 9300–34800 ग्रेड वेतन 4800 / देय तिथि 1.9.2008 में अनुशंसित। 3 तृतीय एम0ए0सी0पी0 की देय तिथि 13.11.17 के पूर्व दिनांक 31.05.2012 को सेवानिवृत होने के कारण देय नही की अनुशंसा के आलोक में।
13.	श्री पंचानन तिवारी / सेवानिवृत शोध सहायक गुण नियंत्रण प्रमण्डल,धुर्वा रांची / 15.01.1948 / 31.01.2008	29.12.66 क्षेत्र सहायक (कार्यभारित) वेतनमान 105– 155 2. 31.01.81 कनीय शोध सहायक वेतनमान 335–555 समकक्ष वेतनमान 5000–8000	09.08..99 (वेतनमान् 5500–9000)	31.01.05 (वेतनमान– 6500– 10500)	–	–	–	प्रथम ACP वेतनमान 5500–9000 देय तिथि 09.08.99 द्वितीय ACP वेतनमान 6500–10500 देय तिथि 31.01.2005 (विभागीय पत्रांक 3320 दि0 01.08.18 द्वारा स्वीकृत ए0सी0पी0 को संशोधित करने की अनुशंसा के आलोक में।
14.	श्री डोमन सिंह यादव / सेवानिवृत शोध सहायक गुण नियंत्रण प्रमण्डल,धुर्वा रांची / 27.08. 1946 / 31.08.2004	11.08.66 क्षेत्र सहायक (कार्यभारित) वेतनमान 105– 155 2 14.09.87 कनीय शोध सहायक वेतनमान 785–1210 01.01. 96 समकक्ष वेतनमान 5000–8000	14.09..99 (वेतनमान् 5500–9000)	–	–	–	–	1. प्रथम ACP वेतनमान 5500–9000 देय तिथि 14.09.99 की अनुशंसा। 2. द्वितीय MACP देय तिथि 01.09.2008 के पूर्व दिनांक– 31.08.2004 को सेवा निवृत होने के कारण देय नहीं होगा अनुशंसा के आलोक में। (विभागीय आदेश सं0 2650 दि0 13.05.16 द्वारा स्वीकृत ए0सी0पी0 को संशोधित करते हुए)
15.	श्री राजकिशोर राय / सेवानिवृत शोध सहायक / गुण नियंत्रण प्रमण्डल,रांची / 01.01.1946 / 31.12.2003	12.11.1970 वर्क सरकार (अस्थायी) वेतनमान 150–155 01.04.1971 क्षेत्र सहायक वेतनमान् 220–315 31.01.81 कनीय शोध सहायक को वेतनमान 335–555 01.01.1986 समकक्ष वेतनमान 1600–2780 / –(स त्यापित) 01.01.96 समकक्ष वेतनमान 5000–8000	09.08..99 (वेतनमान् 5500–9000)	–	–	–	–	प्रथम ACP वेतनमान 5500–9000 देय तिथि 09.08.99 में अनुशंसा के आलोक में।

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16.	श्री भृगुनन्दन प्रसाद / सेवानिवृत शोध सहायक गुण नियंत्रण प्रमण्डल,मेदिनीनगर / 17.06.1950 / 30.06.2010	06.02.1973 क्षेत्र सहायक (कार्यभारित) वेतनमान 220–315 / 03.04.1976 अतिरिक्त शोध सहायक (कार्यभारित) वेतनमान 340–490	09.08..99 (वेतनमान् 5500–9000)	03.04.2000 (वेतनमान– 6500– 10500)	–	–	01.09.08 वेतनमान् 9300 – 34800 ग्रेड वेतन 5400	1. प्रथम ए0सी0पी0 5500–9000 देय तिथि 09.08.99 2. द्वितीय ACP वेतनमान–6500–10500 देय तिथि 03.04.2000 3 वित्त विभाग के पत्रांक –1117 दिनांक–03.6.11 के आलोक में 03.04.2000 को प्रदत्त द्वितीय ए0सी0पी0 वेतनमान 6500–10500 समकक्ष पुनरीक्षित वेतनमान 9300–34800 ग्रेड वेतन 4200 को दिनांक 01.9.2008 को वेतनमान 9300–34800 ग्रेड वेतन 4800 मानते हुए तृतीय एम0 ए0सी0पी0 वेतनमान 9300–34800 ग्रेड वेतन 5400 / देय तिथि 1.9.2008 में अनुशंसा के आलोक में।

यह वित्तीय उन्नयन निम्नांकित शर्त्तो के अधीन देय है :–

1. सुनिश्चित वित्तीय उन्नयन योजना दिनांक 09.08.99 से प्रभावी है किन्तु इसके अंतर्गत वित्तीय लाभ दिनांक 15.11.2000 से देय होगा।
2. संशोधित सुनिश्चित वित्तीय उन्नयन योजना दिनांक 01.09.2008 से प्रभावी है।
3. संशोधित सुनिश्चित वित्तीय उन्नयन योजना एवं सुनिश्चित वित्तीय उन्नयन योजना व्यक्तिगत होगा जिसका पारस्परिक वरीयता से कोई संबंध नहीं होगा।
4. सुनिश्चित वित्तीय उन्नयन योजना एवं संशोधित सुनिश्चित वित्तीय उन्नयन योजना हेतु संबंधित कर्मियों के वेतन का निर्धारण क्रमशः वित्त विभाग के संकल्प सं.–5207 दिनांक 14.08.2002 एवं 2981 दिनांक 01.09.2009 में निहित प्रावधान के आलोक में किया जायेगा।
5. सम्बन्धित कर्मियों को वित्तीय उत्क्रमण का लाभ योजना सह–वित्त विभाग,झारखंड से सत्यापन के पश्चात् ही देय होगा ।
6. जिन सेवानिवृत पदाधिकारियों द्वारा योजना–सह–वित्त विभाग, झारखण्ड राँची के पत्रांक–1365 दिनांक 07.04.2017 के आलोक में घोषणा–पत्र समर्पित नहीं किया गया है, उन्हें भुगतान प्राप्ति के पूर्व सक्षम प्राधिकार को घोषणा–पत्र उपलब्ध कराया जाना आवश्यक होगा।
7. संबंधित किसी भी पदाधिकारी के संदर्भ में भविष्य में किसी भी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर उन्हें प्रदत्त ए.सी.पी./एम.ए.सी.पी. से संबंधित आदेश को रद्द/संशोधित कर दिया जायेगा तथा किसी कारणवश देय वेतन से अधिक भुगतान का मामला प्रकाश में आने पर अतिरेक भुगतान की गयी राशि की एक मुश्त वसूली कर ली जायेगी और इसके विरूद्ध किसी प्रकार का दावा सरकार या न्यायालय में विचारणीय नहीं होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,
ह0/–
(**अभय नन्दन अम्बष्ठ**)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक :– रॉची, दिनांक :–

प्रतिलिपिः–अधीक्षक सचिवालय मुद्रणालय, डोरण्डा, रॉची को अधिसूचना की तीन मूल प्रतियों के साथ गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। गजट में प्रकाशनोपरांत प्रकाशित गजट की 200 (दो सौ) प्रतियॉ विभाग को अभिलेख हेतु भेजने की कृपा की जाय।

ह0/–
(**अभय नन्दन अम्बष्ठ**)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक :– रॉची, दिनांक :–

प्रतिलिपिः–महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड रॉची/सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी /उप सचिव, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, झारखण्ड रॉची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(**अभय नन्दन अम्बष्ठ**)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक :– 927 रॉची, दिनांक :– 04/02/2020

प्रतिलिपिः– अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड रॉची/ अभियंता प्रमुख–01 एवं 02, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड रॉची/ सभी संयुक्त सचिव/ सभी उप सचिव/ सभी अवर सचिव(प्रबंधन कोषांग सहित)/ सभी संबंधित मुख्य अभियंता/ सभी संबंधित अधीक्षण अभियंता/ सभी संबंधित कार्यपालक अभियंता/सभी उपनिदेशक (वैज्ञानिक) जल संसाधन विभाग/सभी संबंधित पदाधिकारियों/कर्मचारियों, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड/वेब इन्फारमेशन मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड रॉची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(**अभय नन्दन अम्बष्ठ**)
सरकार के संयुक्त सचिव।

3.2.2020